कोटेशन सूचना(वाणिज्य शाखा) दिनांकः–29.03.2022

गंजबासौदा रेल्वे स्टेशन पर साइकिल स्कूटर स्टैण्ड का लाइसेन्स आबंटित करने बाबत्

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये कार्य करते हुये मंडल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य) पश्चिम मध्य रेल भोपाल द्वारा गंजबासौदा रेलवे स्टेशन पर खुला साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल स्टेण्ड आवंटित करना है। जिसका कुल एरिया लगभग 889 वर्गमीटर क्षेत्र है। इस साइकिल/स्कूटर स्टेण्ड को अधिकतम 90 दिन की अवधि के लिये आवंटित करने हेतु मोहरबन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। यहाँ फैसिंग की सुविधा विभागीय तौर पर उपलब्ध कराई जावेगी। सफल निविदादाता को वाहन मालिकों से निम्नानुसार किराया लेने की अनुमति होगी–

कमांक	वाहन रखने की अवधि	प्रति साइकिल की दर	प्रति स्कू/मोटर साइकिल की दर
1	06 घन्टे या उसके भाग के लिए	रू. 2/–	रू. 5/–
2	24 घन्टे या उसके भाग के लिए	रू. 4/–	रू. 10/–
3	प्रति माह आम यात्री	रू. 80/–	रू. 200/–
4	प्रति माह रेल्वे स्टाफ	रू. 40/–	रू. 100/–
5	प्रति माह जी.आर.पी/जुडीशियल स्टाफ	रू. 60/–	रू. 150/–

प्रत्येक निविदादाता को ` 7745/– (` सात हजार सात सौ पैतालीस मात्र) की वयाना राशि की डी.डी./एफ.डी.आर./बैंकर्स चेक अथवा नगद राशि मंडल कैशियर कार्यालय भोपाल में जमा कर रसीद मूल रूप से कोटेशन के साथ लगाना अनिवार्य है जो कि कार्यवाही सम्पूर्ण होने पर वापिस की जा सकती है व ठेका आवंटन के उपरांत नियम व शर्तो के पालन न करने की अवस्था में आवंटन निरस्त होने पर बयाना राशि जप्त की जा सकती है। यह डी.डी./एफ.डी.आर./बैंकर्स चेक अथवा नगद राशि वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल के नाम एवं उन्ही के नाम देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनी होना चाहिये, कोटेशन दिनॉक 05.04.2022 को समय 10.00 से 15:00 बजे तक इस कार्यालय में रखी कोटेशन पेटी में डाले जायेगें तथा उक्त दिनॉक 05.04.2022 को ही समय 15.15 बजे कोटेशन पेटी खोली जायेगी। इस ठेके का आरक्षित मूल्य ` 1,54,889/– 90 दिन के लिए रखा गया है। रेल्वे कोई शर्त घटा अथवा बढ़ा सकती है। जो कि कोटेशनदाता को मान्य होगी। अन्य जानकारी इस कार्यालय में आकर किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है। यह कोटेशन विना कोई कारण वताये रेल्वे समाप्त भी कर सकती है। सफल कोटेशन दाता को 45 दिन की लायसेंस फीस के बराबर राशि की एफ.डी.आर. के रूप में सुरक्षा राशि देनी होगी तथा प्रत्येक 30 दिन की एडवांस लायसेंस फीस जमा करनी होगी एवं अपना पास पोर्ट साइज फोटो को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा कर देना होगा व चरित्र प्रमाण पत्र (छै माह से पुरान न हो) जो पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी से जारी, पैन कार्ड, आधारकार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह कोटेशन सूचना वेवसाइट http:/www.wcr.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है। प्रस्ताव में दी गयी लायसेंस फीस पर 18% की दर से जी.एस.टी. देना होगा।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक (वाणि)/भोपाल.

पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(वा),भोपाल

पत्रांकःवा/भो/सा./स्कू./स्टैन्ड/गंजबासौदा/22,

दिनांक 29.03.2022

–स्टेशन प्रबंधक गंजबासौदा– वह कृपया उक्त कोटेशन सूचना को स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर चिपकायें एवं अधिक से अधिक इसका प्रचार करें।
–डी.सी.आई., विदिशा– वह कृपया उक्त कोटेशन के संबध में उक्त कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें।
–वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक,पमरेल भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक(वाणि)/भोपाल.

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Railway Manager's Office
वाणिज्य शाखा, भोपाल
Commercial Branch, Bhopal

क्रमांकः वा./भो./साई./स्कू./पार्किंग स्टैण्ड/गंजबासौदा/22 , दिनॉकः ....

कोटेशन फार्म

विषयः– साईकल/स्कूटर पार्किगं स्टैण्ड स्टेशन गंजबासौदा।

क्र			
1	आवेदक का नाम	::	______________________
2	पिता का नाम	::	______________________
3	पता वर्तमान एवं स्थाई	::	______________________ ______________________ ______________________ ______________________
4	कोटेशनदाता द्वारा प्रस्तावित 90 दिन के लिए लायसेंस फीस	::	` ______________________
5	बयाना राशि का विवरण	::	` ______________________
6	प्रस्तुत प्रपत्रों का विवरण	::	1 ____________________ 2 ____________________ 3 ____________________ 4 ____________________

घोषणा

में यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि कोटेशन सूचना की सभी शर्ते पढ़कर व समझली गई है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि कोई भी जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो रेल प्रशासन को कोटेशन सूचना निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस संबंध में में कोटेशनदाता कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेगा।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर :–

कोटेशनदाता का नाम :–

कोटेशनदाता का नम्बर :–

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Railway Manager's Office
वाणिज्य शाखा, भोपाल
Commercial Branch, Bhopal

क्रमांकः वा./भो./साई./स्कू./पार्किंग स्टैण्ड/गंजबासौदा/22 दिनॉकः 29.03.2022

नियम व शर्ते

1. सफल कोटेशन दाता को वाहन मालिकों से निम्न प्रकार से पार्किंग दरें लेने की अनुमति होगी :–

क	अवधि	पार्किंग रेट	
		साईकल	स्कूटर/मोटर साईकल
1	06 धंटे या भाग के लिये	रू 02	रू 05
2	24 धंटे या भाग के लिये	रू 04	रू 10
3	सामान्य यात्रियों के लिये मासिक पास	रू 80	रू 200
4	रेल कर्मचारियों के लिये मासिक पास	रू 40	रू 100
5	जी.आर.पी/जुडीशियल स्टाफ के लिए मासिक पास	रू 60	रू 150

2. राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी शासकीय वाहन व रेल्वे के सभी शासकीय वाहन निशुल्क रखे जायेंगे।

3. प्रत्येक कोटेशनदाता ` 7745/– (` सात हजार सात सौ पैंतालीस मात्र) की बयाना राशि के लिए एफडीआर/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो कि वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल के नाम एवं उन्हीं के नाम देय, किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक से बनी मूल रूप से कोटेशन फार्म के साथ लगाना अनिवार्य है। यदि नकद राशि जमा की जाती है तो वह मंडल कैशियर कार्यालय भोपाल में जमा कर कोटेशन के साथ रसीद संलग्न करना अनिवार्य है, जो कि कार्यवाही सम्पूर्ण होने के उपरान्त वापिस की जा सकती है व ठेका आवंटन के उपरांत नियम व शर्तो के पालन न करने की अवस्था में आवंटन निरस्त होने पर बयाना राशि जब्त की जा सकती है।

4. सफल कोटेशनदाता को 45 दिन की लायसेंस फीस के बराबर की राशि बतौर सुरक्षा राशि बैंक गारंटी, एफ.डी.आर., डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में लाइसेंस आवंटन के समय देनी होगी जो कि वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल के नाम एवं उन्हीं के नाम देय तथा कोटेशनदाता के खाते से बनी होनी चाहिए एवं किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक से बनी मूल रूप जमा करनी होगी साथ ही प्रत्येक 30 दिन की एडवांस लायसेंस फीस महीने की 10 तारीख तक जमा करनी होगी। एडवांस लायसेंस फीस महीने की 10 तारीख तक जमा नहीं करने पर 7 दिन या उसके भाग पर 2% लेट पैनल्टि देने होगी।

6. कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ अपना पास पोर्ट साइज फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित (मूल प्रति) करा कर देना होगा व चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी से जारी (जो की छै माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए) एवं आधारकार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

7. प्रस्ताव में दी गयी मासिक लाइसेंसफीस पर 18% की दर से GST देना होगा एवं अन्य टैक्स भी देय होंगे।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक(वाणिज्य)/भोपाल.